UPKU040117112022

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर ,स्थान–पड़रौना।

पीठासीन अधिकारी– (रवि कान्त यादव), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP01768**

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1413/2022

दिनांक : 22–07–2022

मु०अप०सं०–330/2022, अन्तर्गत धारा–279,304A भा०दं०सं०, थाना–तरयासुजान, जनपद–कुशीनगर के मामले में अभियुक्त धर्मेन्द्र शाह की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त आज आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है, कि अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे झूठे तथ्यों के आधार पर अभियुक्त बना दिया गया है। वह जमानत मुचलका देने को तैयार है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

धारायें जमानतीय हैं, तथा मामला मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। जमानत का आधार पर्याप्त है। अतः इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त को उसके द्वारा राशि अंकन 20,000/–रूपये का निजी बन्ध पत्र तथा इसी समान राशि के दो जमानतियों को पेश करने पर जमानत प्रदान की जाती है।

सी०जे०एम०, कुशीनगर।

Digitally signed by Ravi Kant Yadav
Date: 2022.07.22 15:59:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court